भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5013
उत्तर देने की तारीख-23/03/2026

टोंक-सवाई माधोपुर में शिक्षकों की नियुक्ति

5013. श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कई विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की वास्तविक संख्या स्वीकृत पदों से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त रिक्त पदों की संख्या कितनी है और उन्हें भरने के लिए निर्धारित समय-सीमा का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डिजिटल/स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर/आईसीटी प्रयोगशालाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है तथा शेष विद्यालयों को उपरोक्त सुविधाओं से लैस करने के लिए तैयार की गई रूपरेखा का विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अल्पविकसित/जनजातीय/सुदूर क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए किसी विशेष पैकेज या लक्षित अंतःक्षेप पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और युक्तिसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार में है। स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों का ब्यौरा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा रखा जाता है। स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया और रिक्तियां, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र

और विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या/नए स्कूलों को समायोजित करने की आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती रहती हैं।

(ग): यूडाइज 2024-25 के अनुसार, टोंक और सवाई माधोपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल/स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर/आईसीटी प्रयोगशालाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिला	**कक्षा VI और उससे ऊपर की कक्षाओं सहित कुल सरकारी स्कूल**	**प्रतिशत**		
		इंटरनेट	**आईसीटी या कंप्यूटर लैब**	**स्मार्ट कक्षाएं**
टोंक	883	73.3	34.3	36.4
सवाई माधोपुर	683	62.5	47.6	39.8

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल अधिगम को बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और डिजिटल पहलों में सहायता करता है। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल दिनांक 17 मई, 2020 को शुरू की गई थी, जिसके तहत देश भर में शिक्षा तक बहु-पद्धति पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत किया जाता है। यह डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने की दिशा में है और इसमें 200 डीटीएच टीवी चैनल शामिल हैं। ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) नामक एक मंच के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

(घ): शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त सहायता के रूप में समग्र शिक्षा योजना की परिकल्पना की गई है। तथापि, शिक्षा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में अधिकांश स्कूलों के साथ समवर्ती सूची में होने के कारण, सुलभ, किफायती, न्यायसंगत, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों पर है। मध्यवर्तन में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ईबीबी), एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों, विशेष प्राथमिकता वाले जिलों (एसएफडी), सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है।

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा कार्यान्वित की जाती है। तदनुसार, समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक योजनाएं राज्यों और

संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होता है। इस योजना के कार्यक्रमिक और वित्तीय मानकों के अनुसार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/आकलन किया जाता है।

समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रारम्भिक स्तर पर पात्र बच्चों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म, माध्यमिक स्तर तक शिक्षण अधिगम सामग्री, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु-उपयुक्त प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय शिविर, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, आयु-उपयुक्त आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, एनआईओएस /एसआईओएस के माध्यम से शिक्षा पूरी करने के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों (16 से 19 वर्ष) को सहायता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को समग्र प्रगति कार्ड, द्विभाषी शिक्षण सामग्री और किताबें आदि हेतु सहायता शामिल है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल शिक्षा के सार्वभौमिककरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल के अवसरंचनात्मक विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, स्तरोन्नयन और संचालन, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, अपरिपूर्ण अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, आरटीई अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति, विभिन्न गुणात्मक घटक, शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ करना और डीआईईटी/बीआरसी/सीसीआरसी को सुदृढ़ करना, आईसीटी और डिजिटल मध्यवर्तनों का प्रावधान शामिल है। डीए-जेजीयूए के तहत, वर्ष 2024-25 में टोंक-सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए 50 की क्षमता वाले 3 छात्रावासों को संस्वीकृत किए गए है।
